

प्रेस विज्ञप्ति

निष्क्रिय क.भ.नि. खातों के निपटान के लिए ऑनलाईन हैल्पडैस्क

बंडारू दत्तात्रेय द्वारा निष्क्रिय खातों के लिए ऑनलाईन हैल्पडैस्क का शुभारंभ

निष्क्रिय खातों की पहचान तथा निपटान के लिए अभियान का शुभारंभ

मुख्यालय, नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2015 : 'श्रमेव जयते' कार्यक्रम के अवसर पर क.भ.नि. निष्क्रिय खाते जिनमें 27000 करोड़ रु. शेष हैं के निपटान के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री के निदेशों अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इनकी वसूली के लिए एक क्रियात्मक कार्यक्रम शुरू किया गया है। श्री बंडारू दत्तात्रेय, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने आज निष्क्रिय खातों के खाताधारकों को अपने खातों का पता लगाने और वर्तमान खाते में इनके निपटान अथवा अंतरण के लिए उन्हें सहायता करने के लिए एक क.भ.नि.सं. निष्क्रिय खाता ऑनलाईन हैल्पडैस्क का उद्घाटन किया।

ऑनलाईन हैल्पडैस्क पर क.भ.नि.सं. की वेबसाइट के द्वारा पहुंचा जा सकता है। सदस्य को स्थापना कोड, भविष्य निधि खाता संख्या, पता, राज्य, शहर, कार्यग्रहण की तिथि आदि को सम्मिलित करते हुए अपने रोजगार के ज्ञात विवरण को विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोफार्मा में उपलब्ध कराने के लिए कहा जाएगा। उसी प्रकार से व्यक्तिगत सूचना जैसे नाम, मोबाइल नं., जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, ई-मेल आई.डी., संपर्क करने का पता, आधार नं., बैंक खाता सं. आदि को भी उपलब्ध कराया जाना है। सदस्यों से जिस सीमा तक सूचना उनके पास उपलब्ध है, उसे प्रदान करने की आशा की जाती है। इसके पश्चात् भविष्य में संदर्भ तथा ट्रेकिंग के लिए एक संदर्भ आई.डी. बनाई जाएगी। बनाई गई संदर्भ आई.डी., के आधार पर संबंधित फील्ड कार्यालय (जहां सदस्य का भविष्य निधि खाता है) सदस्य से संपर्क करेगा और खाते के निपटान अथवा अंतरण के लिए जैसा भी मामला हो, उसका मार्गदर्शन करेगा।

यूनिवर्सल खाता संख्या (यू.ए.एन.) की शुरुआत होने से उपर्युक्त पहल के और सुविधाजनक होने की आशा है क्योंकि यू.ए.एन. से बहुत सी पूर्व भविष्य निधि खाता संख्याओं का वर्तमान खाते से समेकन हो सकेगा। इसके अतिरिक्त क.भ.नि.सं. के हाल ही के ई-गवर्नेंस पहल जैसे कि ऑनलाईन अंतरण दावा पोर्टल, अंशधारकों के वार्षिक खातों को अद्यतन करने के लिए बैच प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की शुरुआत किए जाने से संगठन को निष्क्रिय खातों को शून्य करने तथा आवश्यक निवारक कार्रवाई करने में सहायता मिली है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, क.भ.नि.सं ने अपने फील्ड कार्यालयों को यह निदेश जारी किया है कि पहचान करने तथा निष्क्रिय खातों को पहचानकर, निपटान की सुविधा देने के लिए कैम्प आयोजित किए जाएं तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि वास्तविक दावेदार को पैसे प्राप्त हों। इस पहल में अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए नियोक्ताओं की भागीदारी भी मांगी गई है तथा वर्तमान पता, वर्तमान रोजगार, सदस्य को यू ए एन आबंटित है या नहीं, बैंक खाता विवरण, सदस्य का आधार कार्ड विवरण सहित लाभकर्ताओं की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

क.भ.नि.सं की हाल ही की ई-गवर्नेंस पहल

• निष्क्रिय खाता हेल्पडेस्क	आज
• नया पास बुक (यूएएन आधारित)	10/2014
• मासिक लेन देन के लिए सदस्य एवं नियोक्ताओं को एसएमएस	10/2014
• यूनिवर्सल खाता संख्या कार्यक्रम	10/2014
• स्थापनाओं का ऑनलाइन पंजीकरण (ओ.एल.आर.ई. पोर्टल)	06/2014
• अनुपालन संबंधी प्रकार्यों की केंद्रीकृत मॉनीटरिंग	03/2014
• छूटप्राप्त स्थापनाओं के लिए इलैक्ट्रॉनिक-रिटर्न	01/2014
• ऑनलाइन ट्रांसफर दावा पोर्टल	10/2013
• वार्षिक ब्याज (बैचवारी) की ऑटो क्रेडिटिंग	08/2013
• अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के लिए कवरेज का प्रमाण-पत्र	08/2013
• सदस्यों के लुप्त विवरण संग्रहित करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक रिटर्न	03/2013